संख्या:315/2016/1278/35-4-2016

प्रेषक,

अबरार अहमद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
कन्नौज ।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक:22 सितम्बर,2016

विषय : वर्ष 2016-17 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद कन्नौज में शासनादेश संख्या-142/2015/458/35-4-2015 दिनांक 26 मार्च,2015 के द्वारा **03 पेयजल योजना** कार्यों की रू. 3870.10 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 745.39 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। तत्पश्चात शासनादेश संख्या: 28/2016/81/35-4-2016 दिनांक 13 जनवरी,2016 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू. 560.89 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई। तदोपरान्त शासनादेश संख्या: 164/2016 /690/35-4-2016 दिनांक 28 अप्रैल,2016 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू. 1289.40 लाख की धनराशि अवमुक्त हुई। उक्तशासनादेशों के द्वारा स्वीकृत 03 कार्यों में से 01 कार्य यथा: **सौरिख पुनर्गठन पेयजल योजना** हेतु पूर्ण धनराशि अवमुक्त हो चुकी है। जिलाधिकारी के पत्र संख्या:356/त्व0आ0वि0यो0/डीएसटीओ/2015-16 दिनांक 30 जुलाई,2016 द्वारा उक्त सन्दर्भित शासनादेश से स्वीकृत कार्यों हेतु पूर्व में अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग होना इंगित किया गया है। एतदद्वारा निम्नांकित विवरण के अनुसार स्वीकृत 03 कार्यों में से निम्नांकित 02 कार्यों हेतु अनुमोदित लागत के सापेक्ष प्रथम किश्त एवं द्वितीय किश्त तथा तृतीय किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि को समायोजित करते हुए अगली किश्त के रूप में रू. 1117.48 लाख (रूपये ग्यारह करोड़ सत्रह लाख अड़तालीस हजार मात्र) की धनराशि को निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(लाख रू. में)

	कार्य	अनुमोदित लागत	प्रथम किश्त में अवमुक्त धनराशि	द्वितीय किश्त में अवमुक्त धनराशि	तृतीय किश्त में अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	गुरसहायगंज पुनर्गठन पेयजल योजना	1911.57	368.17	186.97	442.91	817.94
2	तिवो पुनगेठन पेयजल योजना	1227.10	236.34	186.96	442.90	299.54
	योग	**3138.67**	**604.51**	**373.93**	**885.81**	**1117.48**

1- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 26 मार्च,2015, 13 जनवरी,2016 तथा 28 अप्रैल,2016 की शर्ते यथावत लागू रहेंगी।

2- इस शासनादेश से उक्त कार्यों हेतु 95 प्रतिशत की सीमा तक धनराशि का आवंटन किया गया है। कार्य को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

3- परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।

5- स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2017 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2017 से पूर्व समर्पित किया जायेगा । स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा- जोखा 31 मार्च, 2017 तक प्रमुख सचिव नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2017 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा ।

7- कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था द्वारा सम्परीक्षित लेखे अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जायेंगे।

2- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40-आयोजनागत-लेखाशीर्षक-4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय-01-जलपूर्ति-101-शहरी जलपूर्ति-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-02-जलपूर्ति कार्यक्रमों के चालू कार्यों के लिये एकमुश्त व्यवस्था-24 -वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च,2016 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव

संख्या:315/2016/1278(1)/35-4-2016 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3- प्रमुख सचिव / सचिव, लोक निर्माण ।
4- प्रमुख सचिव, वित्त।
5- निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी ।
6- मण्डलायुक्त, कानपुर।
7- मुख्य विकास अधिकारी,कन्नौज।
8- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
9- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कन्नौज।
10-गार्ड फाईल।
11-वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
12-राज्य योजना आयोग-1
13-जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, कन्नौज।

आज्ञा से ,

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in